प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निमार्ण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बौन

तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (**0.940** हे0 सिविल सोयम भूमि/वन भूमि, एवं **6.840** हे0 नाप भूमि अर्थात कुल **0.940** हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चचरेत एवं कोटेश्वर द्वारा दिनांक 2[illegible]-1-20[illegible] को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बौन, फिलम एवं चल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम सचिव

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुगतू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0/–

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत–बौ[illegible]
प्रधान
वि0ख0–धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23.1

दिनांकः–20-1-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– बौन।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द सिंह	[illegible]
2	अरविन्द सिंह	अरविन्द
3	छोटी देवी	छोटी देवी
4	रूप्या सिंह	रूपासिंह
5	रतेराम	रतेराम
6	शिवचरन राम	शिवचरन राम
7	किशनराम	किशन
8	रामकृष्ण सिंह	रामकृष्णसिंह
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत–बौन
प्रधान
वि0ख0–धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निमार्ण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – फिलम,

तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (**0.940** हे0 सिविल सोयम भूमि/वन भूमि, एवं **6.840** हे0 नाप भूमि अर्थात कुल **0.940** हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चचरेत एवं कोटेश्वर द्वारा दिनांक 20-1-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बौन, फिलम एवं चल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम सचिव

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत–
Panchayati Raj
बिन्द्रा देवी
वि0ख0– धारचूला (पिथौरागढ़)

C:\Users\GAURAV\Desktop\vanbhumi dharchula\vanbhumi dharchula\boun_go\boun_go

प्रपत्र—23.1

दिनांकः— 2[illegible]·1·20[illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः— फिलम।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुमित फिरमाल	[illegible]
2	कृष्ण सिंह फिरमाल	[illegible]
3	अजित फिरमाल	[illegible]
4	भूपेन्द्र फिरमाल	[illegible]
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत- फिलम
Panchayati Raj
बि-ड़ा देवी
वि0ख0- धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

1.6D

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निमार्ण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – गो।

तहसील–धारचूला, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (**0.940** हे0 सिविल सोयम भूमि/वन भूमि, एवं **6.840** हे0 नाप भूमि अर्थात कुल **0.940** हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चचरेत एवं कोटेश्वर द्वारा दिनांक 28-1-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बौन, फिलम एवं चल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम सचिव

ह0/–

प्रधान ग्राम प्रधान गो, पंचायती राज, विकासखण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

:\Users\GAURAV\Desktop\vanbhumi dharchula\vanbhumi dharchula\boun_go\boun_go

प्रपत्र—23.1

दिनांकः—20-1-20को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः— गो।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह ग्वाल	सुरेन्द्र
2	दीप ग्वाल	[illegible]
3	पंकज ग्वाल	Pankaj
4	[illegible] ग्वाल	[illegible]
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

ह0/—

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गो
पंचायती राज
ह0 [illegible]
वि0ख0—धारचूला (पिथौरागढ़)

[illegible]
प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निमार्ण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गतराज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) (**0.940** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **6.840** हे0 नाप भूमि अर्थात कुल **0.940** हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 29-1-2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ए0के0 शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ए0 के0 शुक्ला ——उपजिलाधिकारी – धारचूला
2– श्री नवीन चन्द्र पन्त ——उप प्रभागीय वनाधिकारी–धारचूला सदस्य
3– श्री कुलदीप भट्ट ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला सदस्य/सचिव
4– श्री श्रीमती लक्ष्मी देवी 14-जुम्मा ——बी0डी0सी0 क्षेत्र दारमा सदस्य
5– श्री प्रेम सिंह नगन्याल दुग्तू ——बी0डी0सी0 क्षेत्र दारमा सदस्य
6– श्री मनोज सिंह ग्वाल 07-बौन ——बी0डी0सी0 क्षेत्र दारमा सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला (पिथौरागढ़)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किराज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) परियोजना हेतु **0.940** हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर साार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, श्री नवीन चन्द्र पन्त द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.200 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु **0.940** हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..
जनपद ....

सदस्य क्षेत्र पंचायत
07-बौन
वि0ख0- धारचूला (पिथौरागढ़)

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा उत्तर
वि0ख0- धारचूला

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि0ख0-धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्तू
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

1.66

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निमार्ण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति,पिथौरागढ़।

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 8.200 किमी0 (**0.940** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि एवं **6.840 हे0** नाप भूमि अर्थात कुल **0.940** हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला–पिथौरागढ़) की दिनांक 25-11-20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ० विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, वनाधिकारी स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री डॉ० विजय कुमार जोगदंडे –जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ——————अध्यक्ष
2– श्री विनय भार्गव –प्रभागीय वनाधिकारी– पिथौरागढ़ ————सदस्य
3– श्री सुधा लोहनी –समाज कल्याण अधिकारी– पिथौरागढ़ ——सदस्य / सचिव
4– श्री सुरेश सिंह –जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र खेला 02 ——————सदस्य
5– श्री पुष्पा देवी –जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र नाचुनी ——————सदस्य
6– श्री गंगोत्री दताल –जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मेतली ——————सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानस सभा क्षंत्र धारचूला के अन्तर्गत चल से बौन तक मोटर र्माग के निर्माण परियोजना हेतु **0.940** हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग की लम्बाई 8.200 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु **0.940** है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिलाधिकारी (अक्ष्यक्ष)
पिथौरागढ़।

पमागीय वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)
क्षेत्र
जिला पंचायत सदस्य खेला 02 धारचूला (पिथौरागढ़)
सुरेश सिंह

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)
क्षेत्र

5/02/2020
जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)
क्षेत्र
सदस्य जिला पंचायत
(पिथौरागढ़)

1·64

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated-----25-11-20

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.940** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Berinag (name of user agency) **Bou to Go** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Boun film and Go** village (s) in **Dharchula** Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.940** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pi thoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss.Dr. Vijay Kumar Jogdande.I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25-11-20 at time 4:30....at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring **0.940** **Hect.** for the construction of for **Boun to Go** Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated:.25-11-2020

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev

FORM-II